न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

श्री आर. प्र. सेंगर आभा0 द्वारा आज दि. 8.7.15 को प्रस्तुत

|2015 निगरानी बिविध 2123-II-15

श्री मती मुमताज बानो पति मो0 मोतीन निवासी ग्राम टिकुरा उर्फ रघुनाथ गंज तह0 मनगवां जिला रीवाम0प्र0 ... आवेदिका

बनाम

========

लालबहादुर वगैरह ... अनावेदक

आवेदन पत्र बाबत माननीय राजस्व मण्डल निगरानी प्र0क्र0 785 / 03/08 पारित आदेश दिनांक 21-03-2012 एवं माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा अपने आदेश का पालन कराये जाने प्रकरण क्रमांक 785 / थर्ड / 08 पारित आदेश दिनांक 06-07-2013एवं माननीय म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के राजस्व क्रमांक 2015/150 आदेश दिनांक 13-04-2015 का पालन तहसीलदार 0000000रमनगवां के द्वारा पालन कराया जाकर भूमि खसरा क्रमांक 693 कुल रकबा 0·44 डि0, में से अंश रकवा 0·32 डि0, का नामांतरण आवेदिका के नाम पर कराये जाने पालन आदेश कराये जाने हेतु ।

मान्यवर ,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है :-

1- यह कि आराजी ख0 क्रमांक 693 कुल रकबा 0·44 ए0 का अंश रकबा 0·32 ए0, स्थित मौजा टिकुरा रघुनाथ गंत तह0 मनगवां जिला रीवा की भूमि आवेदिका के स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है जिस प्रकरण में आवेदिका के पक्ष में माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा

वीरेन्द्र कुमार सिंह
एडवोकेट
जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा (म० प्र०)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध ~~निग~~–**2123**/दो/2015 **जिला** रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश मुसमात जानो / लाल बहादुर ~~[illegible]~~	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री बीरेन्द्र सिंह [illegible] उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता पर सुना गया । प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक 785/3/2008 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2013 एवं 06.07.2013 का पालन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मनगंवा को निर्देशित करने का निवेदन किया गया है। इसके अतिरिक्त वहीं तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां पुनरांकित न करते हुए उन पर विचार किया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में मेरे द्वारा निगरानी मेमो के संलग्न अभिलेखों की छाया प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से पाया गया कि राजस्व मण्डल न्यायालय के प्रकरण कमांक 785/3/2008 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2013 एवं व्यवहार न्यायालय के आदेश का पालन कराये जाने हेतु विविध आवेदन की प्रति भेज कर कलेक्टर रीवा को आदेश दिए गये थे। किन्तु उक्त पारित आदेश दिनांक 21.3.2013 एवं 6.7.2013 का पालन कराये जाने हेतु कलेक्टर की ओर से कोई कार्यवाही न की जाना तथा तहसीलदार मनगंवा द्वारा भी उक्त वरिष्ठ न्यायालय के आदेशों का पालन न किया जाना परिलक्षित हो रहा है जो निश्चित ही वरिष्ठ न्यायालय के आदेशों की अवमानना का कृत्य है, जो घोर आपत्ति जनक है। अतः कलेक्टर रीवा को पुनः आदेशित किया जाता है कि वे न्यायालय राजस्व मण्डल के पूर्व आदेशों का पालन इस आदेश की संसूचना के 4 सप्ताह के भीतर कराना सुनिश्चित करें एवं न्यायालय राजस्व मण्डल को अवगत करायें। कलेक्टर रीवा को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने न्यायालय राजस्व मण्डल के उक्त पूर्व निर्देशों का पालन नहीं किया है, को नामांकित करें एवं उनके विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय राजस्व मण्डल के पूर्व आदेश दिनांक 21.3.13 एवं 6.7.13 तथा म0प्र0शासन राजस्व विभाग के पत्र कमांक 158/2015 भोपाल दिनांक 13.4.15 के माध्यम से दिए गये आदेशों का पालन न करने के लिए उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करना सुनिश्चित करें एवं की गयी कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन राजस्व मण्डल को भेजें। (हस्ताक्षर) (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	